

## चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में

264

CWP-11847-2023 (O&amp;M)

निर्णय की तिथि: 15.01.2024

महेंद्र सिंह और अन्य

...याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य

...प्रतिवादी

न्यायालय: माननीय न्यायमूर्ति विनोद एस. भारद्वाज

उपस्थित: याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता श्री चंद्र शेखर सिंघल।

श्री विवेक चौहान, अतिरिक्त महाधिवक्ता हरियाणा।

विनोद एस. भारद्वाज, जे. (मौखिक)

वर्तमान याचिका में प्रार्थना है कि प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार करने तथा हरियाणा सरकार की अधिसूचना 2015 और 2017 के तहत आपातकालीन अवधि के दौरान विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय भागीदारी के लिए याचिकाकर्ता को स्वीकार्य ताम्र पत्र और अन्य लाभ जारी करने का निर्देश दिया जाए।

विद्वान राज्य अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की शिकायत अब और नहीं टिकती है, क्योंकि ताम्र पत्र जारी करने का मामला पहले ही संसाधित किया जा चुका है तथा स्वीकार्य वित्तीय लाभ भी जारी करने के लिए संसाधित किए जा रहे हैं। आवश्यक कार्रवाई छह सप्ताह की अवधि के भीतर की जाएगी।

वर्तमान रिट याचिका को तदनुसार ताम्र पत्र की रिहाई और वित्तीय लाभ के बारे में विद्वान राज्य के वकील द्वारा आज लिए गए 06 सप्ताह के भीतर दिए गए बयान के आधार पर निष्फल घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी-राज्य आज न्यायालय में दिए गए बयान से बाध्य होगा।

इसे निष्फल घोषित किया जाता है।

(विनोद एस. भारद्वाज)

न्यायाधीश

15.01.2024

मंगल सिंह

क्या बोलना/तर्क करना:

हाँ/नहीं

क्या रिपोर्ट करने योग्य है:

हाँ/नहीं